

विश्राम कक्ष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही-ज्ञानपुर।

प्रशासनिक आदेश सं०-185/2025/सी०जे०एम०, भदोही/दिनांक 15 जुलाई, 2025

संशोधित रिमाण्ड व वी०आई०पी० आदेश

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में पारित रिमाण्ड व वी०आई०पी० आदेश को संशोधित करते हुये निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है:-

रिमाण्ड कार्य हेतु

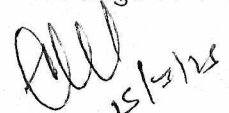
माह	पीठासीन अधिकारी का नाम	न्यायालय का नाम
15.07.2025 से 31.07.2025 तक	श्री अमित कुमार सिंह	सिविल जज, सी०डि०, एफ०टी०सी० भदोही-ज्ञानपुर।
01.08.2025 से 31.08.2025 तक	श्री अंशुमान सिंह	अपर सिविल जज, जू०डि०, चतुर्थ भदोही-ज्ञानपुर।

वी०आई०पी० कार्य हेतु

माह	पीठासीन अधिकारी का नाम	न्यायालय का नाम
15.07.2025 से 31.07.2025 तक	श्री शहनवाज अहमद सिद्दीकी	प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, भदोही-ज्ञानपुर।
01.08.2025 से 31.08.2025 तक	श्रीमती शशि किरण	अपर सिविल जज, जू०डि०, द्वितीय भदोही-ज्ञानपुर।
01.09.2025 से 30.09.2025 तक	श्रीमती किसान जहीर	अपर सिविल जज, सी०डि०, प्रथम भदोही-ज्ञानपुर।

समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेशित किया जाता है कि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में रिमाण्ड एवं वी०आई०पी० ड्यूटी में परिवर्तन हेतु प्रार्थना केवल लिखित प्रार्थनापत्र जिसके साथ किसी भी मजिस्ट्रेट की लिखित सहमति प्राप्त किये जाने के पश्चात प्रस्तुत किये जाने पर ही विचार किया जायेगा।

दिनांक:-15.07.2025

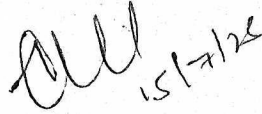

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भदोही-ज्ञानपुर।

माननीय जनपद न्यायाधीश, भदोही-ज्ञानपुर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-सम्बन्धित न्यायिक अधिकारीगण, भदोही-ज्ञानपुर।
- 2-वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, भदोही-ज्ञानपुर।
- 3-कम्प्यूटर अनुभाग, सिविल कोर्ट, भदोही-ज्ञानपुर।
- 4-अध्यक्ष, जनपद बार एसोसिएशन, दीवानी न्यायालय, भदोही-ज्ञानपुर।

दिनांक:-15.07.2025


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भदोही-ज्ञानपुर।